तारीख हुक्म	591/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/17	अपि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित आदेश की पालना हेतु मिसल दिनांक 28/11/17 को पेश हो। वास्ते बहस	
28/11/17	अपि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित पूर्व आदेश की पालना हेतु मिसल दिनांक 05/12/17 को पेश हो। वास्ते बहस	
05/12/17	अपि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 06/12/17 को पेश हो। वास्ते बहस	
06.12.17	पत्रावली प्रस्तुत हुयी उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.12.17 को पेश हो।	6.12.17
22/12/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नही जा सका। अतः पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 05/1/2018 को पेश हो।	
05/1/18	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश जेर अपील के माध्यम से प्रार्थी। अपीलार्थी को ता फैसला वाद आराजी ख. नं. 66 व 67 के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। खसरा नम्बर 66 व 67 एवं 68, 69, 70 पक्षकारान की खातेदारी की	

तारीख हुक्म	597/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजीयात है जिनकी सीमाऐ आपस में मिली हुई है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय जेर अपील में यह अंकित किया है कि उक्त आराजीयात को लेकर दोनो पक्षो के बिच मूल रूप से विवाद सीमा का है किन्तु आदेश जेर अपील मात्र ख.न. 66 व 67 के मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु जारी किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता क्युंकी यदी प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध मे अधिनस्थ न्यायालय को सीमाओ का कोई भ्रम था तो सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त कर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था। इस न्यायालय के समक्ष दोनो पक्षो के अभिभाषकगणो ने इस संदर्भ में सहमति प्रकट की है कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया जावे की प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व सम्बन्धित खसरा नम्बरान की सीमा के सम्बन्ध मे सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण करे। अतः प्रकरण इन्ही निर्देशो के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त कर यथासम्भव दो माह की अवधी के अन्दर प्रकरण का पुनः निस्तारण करे। तब तक विवादग्रस्त भूमि मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। -- पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05.1.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	